सत्यमेव जयते

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

P19/II/DRSSA-047/UP/ 2019-20

02/07/2019

To

All District/ Sub Treasury Officers/Banks.

Sir,

Sub: Grant of Dearness Relief to the Uttar Pradesh state civil/family pensioners @12% w.e.f. 01/01/2019.

Ref: 1.SSA No.Pension Misc/L.I.D 9896/370 , dated: 27/05/2019 of the office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh.
2.Lr. No. 13/2019-G-3-261/X-2019-301/2000 T.C. dated:26/03/2019 of the Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh which encloses letters from the Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh regarding grant of **Dearness Relief** to Uttar Pradesh State Government civil/family pensioners on the revised rate of **12% w.e.f. 01/01/2019**. The same is being placed in the official website of the office **(www.agker.cag.gov.in)** under the link "***Treasury endorsement of orders for other state pensioners***" . A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

ई-मेल /Email: agaekerala@cag.gov.in फैक्स /Fax: 0471-2330242 टेलिफोन /Telephone: 0471-2776100
वेबसाइट /Website: http://www.agker.cag.gov.in

P.M. PN/2/160 6.6.19

P19/II/DRSA/47 13/6/19

पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले० व हक०)द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग उ०प्र० इलाहाबाद

Phones: Off. 2622625-26 Fax: 0532-2624402

पत्रांकः–पेंशन विविध /L.I.D.-9896/ 370

दिनांकः- 27-5-2019

85901 7/6/19

सेवा में,

Accountant General (A&E) Kerala,

Thiruvananthapuram. 695039

विषयः- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति ।

शासनादेशः- 1-संख्या-13/2019/सा -3-261/दस-2019-301/2000 टी०सी०, दिनांक 26/03/2019

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने कि कृपा करें ।

संलग्नः- यथोपरि ।

भवदीय

व॰लेखाधिकारी / पेंशन विविध

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-13/2019/सा-3-261/दस-2019-
301/2000 टी0सी0
लखनऊ : दिनॉक: 26 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-26/2018/सा-3-937/दस-2018-301/2000 टी0सी0 दिनॉक 14 नवम्बर, 2018 द्वारा दिनांक 01-07-2018 से महँगाई राहत की दर 07 प्रतिशत से बढ़ाकर 09 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनॉक 01 जनवरी, 2019 से महँगाई राहत की 03 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर 09 प्रतिशत से बढ़कर दिनॉक 01 जनवरी, 2019 से 12 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh
Finance ( General ) Section-3
No. 13 / 2019-G-3 -261 / X-2019-301/2000 T.C.
Dated : Lucknow : 26 March, 2019

Office - Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

Vide Government order No. 26/2018 /SA-3-937/X-2018-301/ 2000 T.C. dated November 14, 2018 the dearness relief admissible to pensioners / family pensioners of the State was increased from 07 percent to 09 percent w.e.f July 01, 2018.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 03 percent w.e.f. January 01, 2019 on the pension/ family pension revised / determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh Pay Committee 2016.

3- As a consequence of the above-mentioned 03 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 09 percent to 12 percent with effect from January 01, 2019.

4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा चुके हैं।

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- मँहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे ।

अजय कुमार शुक्ला
सचिव, वित्त।

5- These orders will not be applica to the Judges of High Cour employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners / family pensioners have already been issued.

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

7- As per orders issued in O.M. No. A - 1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

Ajay kumar shukla
Secretary, Finance.

--3--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in